

प्रश्न सं. [क. 2541]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2541 की जानकारी जिला रतलाम

वर्ष	प्राप्त शिकायतें		की गई कार्यवाही		सक्षम अधिकारी द्वारा जांच उपरांत दण्डात्मक कार्यवाही		
	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	विधिक माप विज्ञान	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	विधिक माप विज्ञान	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	विधिक माप विज्ञान	
2018-19	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
2019-20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
4	2021-22	06	02	शिकायतों के आधार पर संबंधित फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए व रिपोर्ट फेल आने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।	आकस्मिक जांच कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।	संबंधित फर्मों/एजेंसियों/संस्थाओं एवं अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त आवेदन/शिकायतों में जांच उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में न्यायालय द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की गई है।	संबंधित फर्मों/एजेंसियों/संस्थाओं एवं अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त आवेदन/शिकायतों में सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त संस्था द्वारा विभागीय राजीनामा की सहमति प्राप्त कर राजीनामा राशि आरोपित कर विभागीय हेड में जमा करवाई गई है।
5	2022-23	02	01				
	कुल	08	03				

1/1

क/खाद्य/2023/169


नांक 21/02/2023

जिला आपूर्ति अधिकारी
जिला रतलाम

विषय - विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2541 (डा. राजेन्द्र पाण्डेय माननीय सदस्य विधानसभा) की जानकारी प्रेषित करने बाबत ।
संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक 213/खाद्य/2023 रतलाम दिनांक 17/02/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2541 की जानकारी तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है -

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या शासन/विभाग को वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले अंतर्गत विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ हुई धोकाधड़ी, निर्धारित मापदांडो के अनुसार कार्य नहीं किये जाने गुणवत्ता विहिन मिलावट खाद्य पदार्थ, दर्शित मुल्य से अधिक मुल्य लिए जाने इत्यादि अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रही है?	विभाग में गुणवत्ता विहिन खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं।
(ख)	यदि हा तो उपभोक्ताओं द्वारा किस किस प्रकार के विषयों पर शिकायत कर आवेदन प्रस्तुत किये? कुल कितने आवेदन उपरोक्त अल्लेखित वर्षों में प्राप्त हुये? वर्षवार जानकारी दे।	उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधि/ एक्वायरी संबंधि/ वर्षों में प्राप्त शिकायतें 2018-19 (निरंक), 2019-20 (निरंक), 2020-21 (निरंक), 2021-22 (06), 2022-23 (02).
(ग)	बताए कि उल्लेखित वर्षों में वर्षवार विभिन्न विषयों के संबंध में प्राप्त आवेदन/शिकायतों पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। वर्षवार जानकारी दे।	शिकायतों के आधार पर संबंधित फर्म पर खद्य सुरक्षा अधिकारीयो द्वारा निरीक्षण कर खाद्य प्रदार्थों के नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गये व रिपोर्ट फेल आने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
(घ)	साथ ही आवगत करायें की संबंधित फर्मों/ एजेन्सीयो/ संस्थाओं एवं अन्य नागरीको के द्वारा जो आवेदन/ शिकायत प्राप्त हुई उन पर किस सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जाकर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई?	न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में न्यायालय द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की गई।


प्र. ज. ज. ज. अधिकारी,
संस्थापक शासन,
आद्य, वाणिज्य आपूर्ति एवं
संयोजन मंत्रालय